



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072020-220615
CG-DL-E-21072020-220615

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2114]
No. 2114]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2020/ आषाढ 30, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020/ASHADHA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

का.आ. 2399(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में NH 754K के कि.मी. 0 से कि.मी.130 (प्रान्त कार्यालय, सुईगाम) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखंड अधिकारी, सुईगाम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में NH 754K के कि.मी. 0 से कि.मी.130 (प्रान्त कार्यालय, सुईगाम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: बनासकांठा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सुईगाम					
गांव का नाम: मोरवाड़ा					
1	1582	निजी	एग्रीकल्चर	1.0185000(हेक्टेयर)	1.0185000
2	1585	निजी	एग्रीकल्चर	0.1786000(हेक्टेयर)	0.1786000
3	1587	निजी	एग्रीकल्चर	0.3931000(हेक्टेयर)	0.3931000
गांव का नाम: जोरावरगढ़					
1	156 Paiki 2 /545	निजी	एग्रीकल्चर	0.3370000(हेक्टेयर)	0.3370000
2	156 Paiki 2 /548	निजी	एग्रीकल्चर	0.2997000(हेक्टेयर)	0.2997000
3	352	निजी	एग्रीकल्चर	0.9156000(हेक्टेयर)	0.9156000
4	357	निजी	एग्रीकल्चर	0.2061000(हेक्टेयर)	0.2061000
5	503	निजी	एग्रीकल्चर	1.1071000(हेक्टेयर)	1.1071000
6	504	निजी	एग्रीकल्चर	0.2118000(हेक्टेयर)	0.2118000
7	505	निजी	एग्रीकल्चर	0.1677000(हेक्टेयर)	0.1677000
8	506	निजी	एग्रीकल्चर	1.6908000(हेक्टेयर)	1.6908000
9	507	निजी	एग्रीकल्चर	0.1581000(हेक्टेयर)	0.1581000
10	508	निजी	एग्रीकल्चर	0.2341000(हेक्टेयर)	0.2341000
11	514	निजी	एग्रीकल्चर	0.0260000(हेक्टेयर)	0.0260000
12	516	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
13	517	निजी	एग्रीकल्चर	0.0532000(हेक्टेयर)	0.0532000
14	518	निजी	एग्रीकल्चर	0.0201000(हेक्टेयर)	0.0201000
15	519	निजी	एग्रीकल्चर	0.4702000(हेक्टेयर)	0.4702000
16	529	निजी	एग्रीकल्चर	0.4651000(हेक्टेयर)	0.4651000

17	530	निजी	एग्रीकल्चर	0.0148200(हेक्टेयर)	0.0148200
18	544	निजी	एग्रीकल्चर	0.1708000(हेक्टेयर)	0.1708000
19	546	निजी	एग्रीकल्चर	0.3408000(हेक्टेयर)	0.3408000
20	547	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
21	549	निजी	एग्रीकल्चर	0.2322000(हेक्टेयर)	0.2322000
22	551	निजी	एग्रीकल्चर	0.0258000(हेक्टेयर)	0.0258000
23	561	निजी	एग्रीकल्चर	0.1003000(हेक्टेयर)	0.1003000
24	563	निजी	एग्रीकल्चर	0.4289000(हेक्टेयर)	0.4289000
25	564	निजी	एग्रीकल्चर	0.6446000(हेक्टेयर)	0.6446000
26	565	निजी	एग्रीकल्चर	0.3924000(हेक्टेयर)	0.3924000
27	566	निजी	एग्रीकल्चर	0.0261000(हेक्टेयर)	0.0261000
28	567	निजी	एग्रीकल्चर	0.1020000(हेक्टेयर)	0.1020000
29	569	निजी	एग्रीकल्चर	0.5130000(हेक्टेयर)	0.5130000
30	570	निजी	एग्रीकल्चर	0.4479000(हेक्टेयर)	0.4479000
31	571	निजी	एग्रीकल्चर	0.1336000(हेक्टेयर)	0.1336000
32	572	निजी	एग्रीकल्चर	0.0498000(हेक्टेयर)	0.0498000
33	573	निजी	एग्रीकल्चर	0.1064000(हेक्टेयर)	0.1064000
34	603	सरकारी	मारग	0.0037000(हेक्टेयर)	0.0037000
35	609	सरकारी	कैनाल	0.0154000(हेक्टेयर)	0.0154000
गांव का नाम: रडका					
1	172 /P-3	निजी	कृषि	0.5237000(हेक्टेयर)	0.5237000
गांव का नाम: सोनेथ					
1	681	निजी	कृषि	0.1723000(हेक्टेयर)	0.1723000
2	746	निजी	कृषि	0.0001000(हेक्टेयर)	0.0001000
गांव का नाम: उच्चोसन					
1	102	निजी	एग्रीकल्चर	0.0216000(हेक्टेयर)	0.0216000
2	103	निजी	एग्रीकल्चर	0.2680000(हेक्टेयर)	0.2680000
3	104	निजी	एग्रीकल्चर	1.4263000(हेक्टेयर)	1.4263000
4	171 P 2 (240)	निजी	एग्रीकल्चर	0.3914000(हेक्टेयर)	0.3914000
5	568	सरकारी	मारग	0.0535000(हेक्टेयर)	0.0535000
कुल				14.5632	14.5632

[फा. सं NHAI/PIU-GAN/BM/AJEC-GUJ/2018/LA/3A].

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2020

S.O. 2399(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 754K in the stretch of land from Km 0 to Km130 (Prant Office, Suigam) in the district of Banaskantha in the state of UJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Magistrate, Suigam in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 754K in the stretch of land from NH 754K (Prant Office, Suigam) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT

State: GUJARAT		District: Banaskantha			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Suigam					
Village: Morwada					
1	1582	Private	Agriculture	1.0185000(Hectare)	1.0185000
2	1585	Private	Agriculture	0.1786000(Hectare)	0.1786000
3	1587	Private	Agriculture	0.3931000(Hectare)	0.3931000
Village: Jorawargadh					
1	156 Paiki 2 /545	Private	Agriculture	0.3370000(Hectare)	0.3370000
2	156 Paiki 2 /548	Private	Agriculture	0.2997000(Hectare)	0.2997000
3	352	Private	Agriculture	0.9156000(Hectare)	0.9156000

4	357	Private	Agriculture	0.2061000(Hectare)	0.2061000
5	503	Private	Agriculture	1.1071000(Hectare)	1.1071000
6	504	Private	Agriculture	0.2118000(Hectare)	0.2118000
7	505	Private	Agriculture	0.1677000(Hectare)	0.1677000
8	506	Private	Agriculture	1.6908000(Hectare)	1.6908000
9	507	Private	Agriculture	0.1581000(Hectare)	0.1581000
10	508	Private	Agriculture	0.2341000(Hectare)	0.2341000
11	514	Private	Agriculture	0.0260000(Hectare)	0.0260000
12	516	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
13	517	Private	Agriculture	0.0532000(Hectare)	0.0532000
14	518	Private	Agriculture	0.0201000(Hectare)	0.0201000
15	519	Private	Agriculture	0.4702000(Hectare)	0.4702000
16	529	Private	Agriculture	0.4651000(Hectare)	0.4651000
17	530	Private	Agriculture	0.0148200(Hectare)	0.0148200
18	544	Private	Agriculture	0.1708000(Hectare)	0.1708000
19	546	Private	Agriculture	0.3408000(Hectare)	0.3408000
20	547	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
21	549	Private	Agriculture	0.2322000(Hectare)	0.2322000
22	551	Private	Agriculture	0.0258000(Hectare)	0.0258000
23	561	Private	Agriculture	0.1003000(Hectare)	0.1003000
24	563	Private	Agriculture	0.4289000(Hectare)	0.4289000
25	564	Private	Agriculture	0.6446000(Hectare)	0.6446000
26	565	Private	Agriculture	0.3924000(Hectare)	0.3924000
27	566	Private	Agriculture	0.0261000(Hectare)	0.0261000
28	567	Private	Agriculture	0.1020000(Hectare)	0.1020000
29	569	Private	Agriculture	0.5130000(Hectare)	0.5130000
30	570	Private	Agriculture	0.4479000(Hectare)	0.4479000
31	571	Private	Agriculture	0.1336000(Hectare)	0.1336000
32	572	Private	Agriculture	0.0498000(Hectare)	0.0498000
33	573	Private	Agriculture	0.1064000(Hectare)	0.1064000
34	603	Government	Road	0.0037000(Hectare)	0.0037000
35	609	Government	Canal	0.0154000(Hectare)	0.0154000
Village: Radka					
1	172 /P-3	Private	Agriculture	0.5237000(Hectare)	0.5237000
Village: Soneth					
1	681	Private ()	Agriculture	0.1723000(Hectare)	0.1723000
2	746	Private	Agriculture	0.0001000(Hectare)	0.0001000
Village: Uchosan					
1	102	Private	Agriculture	0.0216000(Hectare)	0.0216000
2	103	Private	Agriculture	0.2680000(Hectare)	0.2680000
3	104	Private	Agriculture	1.4263000(Hectare)	1.4263000

4	171 P 2 (240)	Private	Agriculture	0.3914000(Hectare)	0.3914000
5	568	Government	Road	0.0535000(Hectare)	0.0535000
Total				14.5632	14.5632

[F. No. NHAI/PIU-GAN/BM/AJEC-GUJ/2018/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.